फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर

रेवतीरमन बनाम अभिषेक कुमार चौधरी

ण संख्या :-

दावा 273/2024

क	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
9/10/24	वकील वादी ने दावा बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 ए, 188 एक्ट का पेश किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी कर पत्रावली दि० 13/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
13/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप। वकील वादी ने प्रतिवादीगण को जारी नोटिस की डाक रसीदें पेश की। प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते जवाब दावा/इन्तजार तलबी दिनांक 11/12/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	प्रती. सं. 1 व 2 खि... 13/11/24
11/12/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3/1/25 को पेश हो।	रेवतीर
13/12/2024	पत्रावली प्रार्थनापत्र शीघ्र सुनवाई का पेश होने पर पत्रावली ... प्रकरण में राजीनामा हो जाने बाबत ... प्रार्थनापत्र अनुसार प्रकरण का राजीनामा ... किया ... निस्तारण करने का निवेदन किया ... पत्रावली का ... राजीनामा ... पर वादी ... राजीनामा ... किया जाता है ... पत्रावली ... जावे ... पत्रावली ... फैसला ... दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	गणेश कुमार चौधरी ... गिरिराज सुरेश ... पद ... 13/12/24

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 273/2024
निर्णय दिनांक : 19.12.2024

उनवान

1. रेवतीरमन पुत्र गणेश जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 12, चित्रकूट कॉलोनी, थाना सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. गणेश कुमार चौधरी पुत्र नानगराम चौधरी जाति जाट निवासी– लीला की ढाणी ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. मनोज यादव पुत्र रामशरण यादव जाति यादव निवासी– सीमल्यावास ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. सरजू देवी पत्नी स्व० रामगोपाल जाति ब्रह्मण निवासी– ग्राम दादिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. सुरेश चन्द्र गुर्जर पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी– मकान संख्या 21, बोरो का वास ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. गिर्राज चोपडा पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम ग्यार जाटान तहसील सांगानेर जिला जयपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पता तहसीलदार कार्यालय तहसील सांगानेर जयपुर
7. उपं पंजीयक प्रथम सांगानेर पता नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद दावा बाबत तकासमां एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 53 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 19.12.2024

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.54 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 हैक्टयर, वाके ग्राम गंवार जाटान, पटवार हल्का पुरूषोतमपुरा उर्फ दादिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमें वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/8, राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपना हिस्सा 1/8 को प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय कर दिया जिसका राजस्व रिकार्ड मे नामान्तकरण संख्या 253 दिनाक 11.09.2024 दर्ज हो गया किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे अकित नही हुआ है उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद पत्र मे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। वादी अपने हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर मनवट के अनुसार आयी भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है वादग्रस्त भूमि का कृषि कार्य के लिये उपयोग उपभोग कर रहे है, वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत बटवारा नही हुआ है, प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर नाजायज आवासीय व्यवसायिक निर्माण करना चाहते है और और वादग्रस्त भूमि को विधिवत बटवारे बिना नाजायज रूप से विक्रय करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार नही है। दिनाक 04.10.2024 को प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर आये और उन्होने वादग्रस्त भूमि पर खडे खेजडी इत्यादि बडे पेडो को काट दिया, वादग्रस्त भूमि पर सडके बनाने के लिये रोडे डाल दी तथा प्लोटीग करने के उदेश्य से निशानात लगाना शुरू कर दिये मना

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

रने पर मारपीट पर उतारू हो गये और एलानिया कहा कि हम वादग्रस्त भूमि पर प्लाट काटकर
ावासीय व्यवसायिक निर्माण कार्य करेंगे, वादी द्वारा प्रतिवादीगण के कृत्य की शिकायत पुलिस थाना
ांगानेर सदर को, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को दिनांक 04.10.2024 को तथा अन्य
क्षम अधिकारियो को भी शिकायत की जा चुकी है किन्तु समुचित कार्यवाही नही हुयी जिसके कारण
ह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण एलानिया धमकी दी की प्रतिवादीगण वादग्रस्त
ूमि पर नाजायज निर्माण करेंगे तथा उसका नाजायज रूप से विक्रय करेंगे तथा प्रतिवादीगण द्वारा
ादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा करवाने से भी इन्कार कर देने के कारण वाद कारण उत्पन्न
ाकर निरन्तर जारी है । वादी वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा कराने का अधिकारी है इसलिये
ादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।
ादग्रस्त भूमि का बाई मिटरा एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवारा किया जाकर वादी के हिस्से का
ाजस्व रिकार्ड मे अलग अलग खाता बनाया जाये तथा वादी के हिस्से की भूमि की अलग सीमा
र्धारित की जावे व उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा न होने तक वादग्रस्त
ूमि का विक्रय न करे वादग्रस्त भूमि पर नाजायज आवासीय व्यवसायिक निर्माण कार्य ना करे तथा
ादग्रस्त भूमि पर वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त मे बाधा कारित ना करे । प्रतिवादी
ख्या 6 राजस्थान सरकार वादग्रस्त भूमि का भू धारक है ओर वाद तकासमा मे आवश्यक पक्षकार है
तिवादी संख्या 7 पंजीयन अधिकरी है इसलिए उसे पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है
तिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी
ंख्या 3 के हिस्से की वादग्रस्त भूमि को क्रय कर लिया है इसलिए आवश्यक पक्षकार होने के नाते
उन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है।

वाद बहंक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे कि वाद पत्र के पैरा
१० एक में वर्णित वादगरस्त आराजीयात कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर बटवारा
कर वादी के हिस्से को अलग अलग खाता बनाया जाकर अलग से लगान निर्धारित किया जावे व
उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द
फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का विधिवत बटवारा न होने तक वादग्रस्त भूमि पर आवासीय
व्यवसायिक निर्माण कार्य नही करे, प्लोटिग नही करे, सडक निर्माण कार्य नही करे, गैर कृषि कार्य
नही करे, वादग्रस्त भूमि का नाजायज प्रकार से विकय नही करे तथा वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग
उपभोग कब्जे काश्त में बाधा कारित ना करे प्रतिवादी सख्या 6 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखने तथा प्रतिवादी सख्या 7 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र या हस्तानान्तरण विलेख किसी
दिगर व्यक्ति के नाम तस्दीक नही करने हेतु पाबन्द फरमाया जावे । वाद पत्र का समस्त हर्जा खर्चा
मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे
वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र बाबत् प्रतिवादी संख्या 3 का नाम हजब करने पेश किया। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 सरजूदेवी का नाम वाद से हजब किया जाता है। पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश हुआ। जिसका सूक्ष्म वृतांत इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 की ओर से राजीनामा इस प्रकार है कि उक्त वादग्रस्त आराजी भुमि में वादी का हिस्स 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/4 , प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/8 ओर प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/8 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान ने पंचगणो की समझाईस पर राजीनामा/तकासमा कर लिया है। जो शामिल मिसल है। राजीनामा तकासमा भुमि के मुताबिक ख.नं. 85/मि. रकबा 0.004 है0, ख.नं. 87/मि. रकबा 0.09 है0 ख.नं. 88/मि. रकबा 0.08 है0, ख.नं. 90/मि. रकबा 0.002 है0, कुल किता 04 कुल रकबा 0.1790 है00 भुमि भविष्य में आम में आम रास्ते के रूप में ही उपयोग उपभोग में ली जावेगी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 वादी को उपरोक्त वर्णित रास्ते से आवागमन में कोई बाधा उत्पन्न नही करेगें।

पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा/तकासमा अनुसार डिक्री फरमाये जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

निवेदन किया। और वकील प्रतिवादी ने भी राजीनामा/तकासमा के आधार पर डिक्री किये जाने पर सहमति दी ।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने व वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 84 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.54 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 हैक्टयर, वाके ग्राम गंवार जाटान, पटवार हल्का पुरूषोतमपुरा उर्फ दादिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि के सह खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से की वादग्रस्त भूमि को क्रय कर लिया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 का नाम वाद से हजफ किया गया। अतः पक्षकारान की ओर से प्रस्तूत राजीनामा/तकासमा के आधार पर वाद को डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः, वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम गंवार जाटान, पटवार हल्का पुरूषोतमपुरा उर्फ दादिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 84 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.54 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 हैक्टयर में मुताबिक राजीनामा व तकासमा अनुसार डिक्री किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा/तकासमा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस. (द्वितीय)
सांगानेर, जयपुर
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

क्या : 273 / 2024

उनवान

तीरमन पुत्र गणेश जाति ब्राहम्ण निवासी प्लाट नम्बर 12, चित्रकूट कॉलोनी, थाना सांगानेर, हसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

गेश कुमार चौधरी पुत्र नानगराम चौधरी जाति जाट निवासी– लीला की ढाणी ग्राम वाटिका हसील सांगानेर जिला जयपुर

नोज यादव पुत्र रामशरण यादव जाति यादव निवासी– सीमल्यावास ग्राम वाटिका तहसील ांगानेर जिला जयपुर

रजू देवी पत्नी स्व० रामगोपाल जाति ग्रहम्ण निवासी– ग्राम दादिया तहसील सांगानेर जिला यपुर

ुरेश चन्द्र गुर्जर पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी– मकान संख्या 21, वोरो का वास ग्राम ाटिका तहसील सांगानेंर जिला जयपुर

गेर्राज चोपडा पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम ग्वार जाटान तहसील सांगानेर जिला जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पता तहसीलदार कार्यालय तहसील सांगानेर जयपुर

उपं पंजीयक प्रथम सांगानेर पता नगर निगम रोड सांगानेर जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 53 ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियतम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भुमि वाके ग्राम गंवार जाटान, पटवार हल्का पुरूषोतमपुरा उर्फ दादिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 84 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.20 हैक्टयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.50 हैक्टयर, खसरा नम्बर 89 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नम्बर 90 रक़बा 0.54 हैक्टयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 हैक्टयर में मुताबिक राजीनामा व तकासमा अनुसार डिक्री किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। राजीनामा / तकासमा निर्णय का भाग रहेगा।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा .....

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
ाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा	1	00
ाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
ाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
न्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
स कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
फरिक					
मीजान			मीजान		

: : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)